राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.28(7)( )पराविं / प्रशा.2 / मृ.आ.नि. / भीलवाडा / 2016 / 4774 जयपुर,दिनांक : 25/11/16

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद – समस्त ।

:: परिपत्र ::

पंचायती राज संस्थाओं के मृत कर्मचारियों के आश्रितो को पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 277 के प्रावधानानुसार राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम,1996 के प्रावधानो के अन्तर्गत पात्रतानुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.06.2016 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 266(i)(2) में किये गये संशोधन अनुसार ग्राम सेवक एवं सचिव पद हेतु अभ्यर्थी को स्नातक या सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित और कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण होने की अर्हता होना अनिवार्य है।

उक्त नियमों के अन्तर्गत ग्राम सेवक एवं सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान करते समय मृतक के आश्रित के पास भी उक्त योग्यता का होना आवश्यक है। चूंकि मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम,1996 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः ग्राम सेवक एवं सचिव पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रदान कर सकते है। किन्तु ऐसे कार्मिक को परिवीक्षाकाल की अवधि में कम्प्यूटर योग्यता आवश्यक रूप से अर्जित करनी होगी। ऐसी योग्यता अर्जित होने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उनकी दक्षता परीक्षा स्वयं के स्तर पर लेकर यह प्रमाणित करेगा कि वस्तुतः कार्मिक को कम्प्यूटर का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त हो गया है।

जब तक कार्मिक के द्वारा कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं होगी, तब तक ऐसे कार्मिक / राजसवेक को न तो स्थाई किया जायेगा और न ही नियमित वेतन श्रृखंला दी जायेगी। योग्यता अर्जित करने के पश्चात् जब तक वह दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नहीं होगी।

यह स्वीकृति कार्मिक विभाग की आई.डी.संख्या 854/DOP/A-2 दिनांक 07.11.2016 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज. जयपुर को आई.डी. संख्या 854/DOP/A-2 दिनांक 07.11.2016 के क्रम में।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
3. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D\SSR\Deceased appointment\2015\Letter 2015.Doc